भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 310

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात आयातों की निगरानी करने हेतु तंत्र

310. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में इस्पात आयातों की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे तंत्र की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी हाँ। इस्पात के अभिप्रेत आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म, इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) सरकार द्वारा दिनांक 05.09.2019 की अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी।

(ख): इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) दिनांक 01.11.2019 से प्रचालनात्मक है। यह आयातों में किसी तरह की वृद्धि के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के अलावा, स्वदेशी विनिर्माण की योजना बनाने हेतु देश में आयात किए जा रहे वास्तविक ग्रेड की पहचान करने के उद्देश्य से इस्पात के आयातों के संबंध में बारीक आंकड़े प्रदान करती है। शुरू में, एसआईएमएस आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 एवं 86 के तहत 284 वस्तुओं पर लागू था जिसका सरकार की दिनांक 28.09.2020 की अधिसूचना के तहत अध्याय 72, 73 एवं 86 के अंतर्गत सभी एचसी कोड (वस्तुओं) को शामिल करने हेतु अब विस्तार किया गया है। एसआईएमएस की शुरुआत से दिसंबर, 2020 के अंत तक 199886 पंजीकरण किए गए हैं, जिनका स्वघोषित मूल्य 13621 मिलियन यूएसडी ($) है।

****